

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
मांग संख्या 68
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	23177.56	406.33	23583.89	21543.43	594.52	22137.95	21543.28	594.67	22137.95	21549.87	588.08	22137.95
वसूलियां	-42.95	...	-42.95
प्राप्तियां
निवल	23134.61	406.33	23540.94	21543.43	594.52	22137.95	21543.28	594.67	22137.95	21549.87	588.08	22137.95
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	24.14	...	24.14	32.85	...	32.85	34.28	...	34.28	35.10	...	35.10
2. विकास आयुक्त (एमएसएमई)	29.56	...	29.56	213.03	19.52	232.55	201.01	19.42	220.43	209.72	12.58	222.30
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	53.70	...	53.70	245.88	19.52	265.40	235.29	19.42	254.71	244.82	12.58	257.40
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
खादी, ग्रामोद्योग और नारियल रेशा उद्योगों का विकास												
3. खादी अनुदान (के जी)	332.80	...	332.80
4. परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति)	1.95	...	1.95	280.00	...	280.00	2.50	...	2.50	260.00	...	260.00
5. कयर विकास योजना	87.14	...	87.14	92.00	...	92.00	92.15	...	92.15	103.10	...	103.10
6. खादी विकास योजना	296.99	...	296.99
7. ग्रामोद्योग विकास योजना	47.18	...	47.18
8. खादी ग्रामोद्योग विकास योजना												
8.01 खादी अनुदान	375.98	...	375.98	333.40	0.25	333.65	461.00	0.50	461.50
8.02 खादी विकास योजना	498.42	...	498.42	422.80	...	422.80	515.19	...	515.19
8.03 ग्रामोद्योग विकास योजना	42.60	...	42.60	53.55	...	53.55	60.50	...	60.50
जोड़- खादी ग्रामोद्योग विकास योजना	917.00	...	917.00	809.75	0.25	810.00	1036.69	0.50	1037.19
जोड़-खादी, ग्रामोद्योग और नारियल रेशा उद्योगों का विकास	766.06	...	766.06	1289.00	...	1289.00	904.40	0.25	904.65	1399.79	0.50	1400.29
प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन												
9. (नवाचार, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन) एस्पायर	4.00	...	4.00	22.23	...	22.23	4.00	...	4.00	20.00	...	20.00
10. ऋण आधारित पूंजी सस्मिडी तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम	0.08	...	0.08
11. एमएसएमई चैम्पियन्स योजना	44.05	...	44.05	52.72	...	52.72	52.72	...	52.72	54.72	...	54.72

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन	48.13	...	48.13	74.95	...	74.95	56.72	...	56.72	74.72	...	74.72
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य क्रेडिट सहायता स्कीमें												
12. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	2733.21	...	2733.21	2700.00	...	2700.00	2958.22	...	2958.22	2300.00	...	2300.00
13. ऋण सहायता कार्यक्रम	8000.00	...	8000.00	500.08	...	500.08	500.00	...	500.00	0.04	...	0.04
14. दबाव ग्रस्त आस्ति निधि	0.04	...	0.04
15. योग्य एमएसएमई उधारकर्ताओं को आपातकालीन क्रेडिट लाइन सुविधा (जीईसीएल)	10500.00	...	10500.00	14100.00	...	14100.00	14000.00	...	14000.00	10162.92	...	10162.92
जोड़-प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य क्रेडिट सहायता स्कीमें	21233.21	...	21233.21	17300.12	...	17300.12	17458.22	...	17458.22	12462.96	...	12462.96
16. ऋण आधारित पूंजीगत सक्मिडी (सीएलसीएस)	1.06	...	1.06	2.32	...	2.32	0.55	...	0.55
विपणन संवर्धन स्कीम												
17. खरीद और विपणन सहायता स्कीम	27.49	...	27.49	96.35	...	96.35	86.60	...	86.60	65.00	...	65.00
18. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना	11.28	...	11.28
जोड़-विपणन संवर्धन स्कीम	38.77	...	38.77	96.35	...	96.35	86.60	...	86.60	65.00	...	65.00
19. अध्ययन, प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (एसपीआईसी)	36.07	...	36.07	30.00	...	30.00	27.00	...	27.00
उद्यमिता और कौशल विकास												
20. महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान	8.50	...	8.50
21. संवर्धनात्मक सेवा संस्थान और कार्यक्रम	177.46	...	177.46
22. सूचना, शिक्षा और संचार	3.89	...	3.89
23. प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता	21.99	...	21.99	30.00	...	30.00	15.00	...	15.00	30.00	...	30.00
24. निधियों के लिए निधि	...	392.78	392.78	...	575.00	575.00	...	575.00	575.00	...	575.00	575.00
25. उद्यमिता सह कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)	80.00	...	80.00	65.00	...	65.00	99.00	...	99.00
जोड़-उद्यमिता और कौशल विकास	211.84	392.78	604.62	110.00	575.00	685.00	80.00	575.00	655.00	129.00	575.00	704.00
अवसंरचना विकास कार्यक्रम												
26. <i>अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण</i>												
26.01 सुक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम	119.55	...	119.55
26.02 उपकरण कक्ष और तकनीकी संस्थान	101.00	...	101.00
26.03 पूर्वोत्तर और सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन	49.40	...	49.40
26.04 टीसीएस/टीएसएस/डीआईएस को अवसंरचना सहायता और लेक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय (कार्यालय आवास का निर्माण)	15.08	...	15.08
<i>जोड़- अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण</i>	<i>285.03</i>	...	<i>285.03</i>
27. नए प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना	10.00	...	10.00	450.00	...	450.00	15.94	...	15.94	450.00	...	450.00
28. प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) ईएपी	123.60	...	123.60	350.00	...	350.00	200.00	...	200.00	0.01	...	0.01
29. कार्यालय आवास का निर्माण-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	13.55	13.55
30. एमएसएमई कार्यनिष्पादन को बढ़ाना एवं त्वरित करना -	269.38	...	269.38	1170.00	...	1170.00	1000.00	...	1000.00	1170.00	...	1170.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
आरएमपी												
31. सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी)	150.00	...	150.00	180.00	...	180.00	400.00	...	400.00
32. उपकरण कक्ष और तकनीकी संस्थाएं (टीआर/टीआई)	100.00	...	100.00	140.00	...	140.00	140.00	...	140.00
33. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
जोड़-अवसंरचना विकास कार्यक्रम	688.01	13.55	701.56	2270.00	...	2270.00	1585.94	...	1585.94	2210.01	...	2210.01
अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन												
34. डाटाबेस अनुसंधान मूल्यांकन तथा अन्य कार्यालय सहायता कार्यक्रम	1.51	...	1.51
35. सर्वेक्षण, अध्ययन तथा नीतिगत अनुसंधान	1.33	...	1.33
36. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब केंद्र	135.00	...	135.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	99.92	...	99.92
जोड़-अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन	137.84	...	137.84	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	99.92	...	99.92
37. पीएम विश्वकर्मा	989.52	...	989.52	4824.00	...	4824.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	23123.86	406.33	23530.19	21277.55	575.00	21852.55	21293.72	575.25	21868.97	21292.95	575.50	21868.45
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
38. महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान	20.00	...	20.00	14.27	...	14.27	12.10	...	12.10
अन्य												
39. वास्तविक वसूली	-42.95	...	-42.95
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	-42.95	...	-42.95	20.00	...	20.00	14.27	...	14.27	12.10	...	12.10
कुल जोड़	23134.61	406.33	23540.94	21543.43	594.52	22137.95	21543.28	594.67	22137.95	21549.87	588.08	22137.95
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. ग्राम एवं लघु उद्योग	23110.47	...	23110.47	19279.21	...	19279.21	19194.70	...	19194.70	19381.26	...	19381.26
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	24.14	...	24.14	32.85	...	32.85	34.28	...	34.28	35.10	...	35.10
3. ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	406.33	406.33	...	536.62	536.62	...	536.52	536.52	...	530.08	530.08
4. ग्राम और लघु उद्योगों के लिए ऋण	0.25	0.25	...	0.50	0.50
जोड़-आर्थिक सेवाएं	23134.61	406.33	23540.94	19312.06	536.62	19848.68	19228.98	536.77	19765.75	19416.36	530.58	19946.94
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	2231.37	...	2231.37	2314.30	...	2314.30	2133.51	...	2133.51
6. पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पूंजीगत परिव्यय	57.90	57.90	...	57.90	57.90	...	57.50	57.50
जोड़-अन्य	2231.37	57.90	2289.27	2314.30	57.90	2372.20	2133.51	57.50	2191.01
कुल जोड़	23134.61	406.33	23540.94	21543.43	594.52	22137.95	21543.28	594.67	22137.95	21549.87	588.08	22137.95

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	...	150.29	150.29	260.00	260.00	520.00	...	220.00	220.00	...	240.00	240.00
जोड़	...	150.29	150.29	260.00	260.00	520.00	...	220.00	220.00	...	240.00	240.00

(₹ करोड़)

1. **सचिवालय:** इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए स्थापना-संबंधित व्यय, वेतन, भत्ते, आकस्मिक व्यय, घरेलू/विदेश यात्रा, मरम्मत, आतिथ्य, आदि हेतु प्रावधान है।

2. **विकास आयुक्त (एमएसएमई):** विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय एमएसएमई मंत्रालय का एक संबद्ध निकाय है जो देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण, समन्वय और निगरानी से संबंधित कई पहलुओं को देखता है। मुख्यालय विकास आयुक्त (एमएसएमई), एमएसएमई-डीएफओ और एमएसएमई-टीसी के स्थापना संबंधी खर्चों जैसे वेतन, भत्ते, आकस्मिक व्यय, घरेलू/विदेश यात्रा, मरम्मत, आतिथ्य, कार्यालय व्यय आदि के लिए प्रावधान है। इसमें एमएसएमई मंत्रालय के सचिवालय, विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय, एमएसएमई-डीएफओ और एमएसएमई-टीसी के लिए स्थापना संबंधी पूंजीगत व्यय जैसे मोटर वाहन, मशीनरी और उपकरण, सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण, भवन और इमारतें, फर्नीचर और फिक्स्चर, भूमि, अवसंरचनात्मक परिसंपत्तियों, अन्य अचल परिसंपत्तियों आदि के व्यय का भी प्रावधान है।

3. **खादी अनुदान (के जी):** वर्ष 2022-23 से खादी अनुदान योजना को स्थानांतरित करके खादी ग्रामोद्योग विकास योजना के अधीन कर दिया गया है।

4. **परंपरागत उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति):** इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों को सामूहिक रूप से संगठित करना और उनके उत्पादों में मूल्यवर्धन करना है, जिससे उन्हें आय में वृद्धि और स्थिरता प्रदान की जा सके। स्कीम के तहत कारीगरों को सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना, नई मशीनरी और कच्चे माल की खरीद, क्षमता निर्माण, विपणन और डिजाइन संबंधी कार्यकलाप आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम में शामिल प्रमुख क्षेत्रों में हस्तशिल्प, कपड़ा, कृषि प्रसंस्करण, शहद, बांस आदि शामिल हैं।

वर्ष 2015-16 से स्फूर्ति के तहत कुल 498 क्लस्टर अनुमोदित किए गए हैं, जिसमें भारत सरकार की कुल सहायता 1294.92 करोड़ रुपये है जिससे देश भर में 2.94 लाख पारंपरिक कारीगर सीधे तौर पर लाभान्वित हुए हैं। इन 498 क्लस्टरों में से, 261 क्लस्टर पहले से काम कर रहे हैं।

वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान 406200 कारीगरों को लाभान्वित करते हुए 2000 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ कुल 677 नए स्फूर्ति क्लस्टर स्वीकृत किए जाने का अनुमान है।

5. **कॉयर विकास योजना:** कॉयर विकास योजना को कॉयर बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया जाता है जो कॉयर उद्योग के समग्र विकास को बढ़ावा देने और इस पारंपरिक उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की जीवन स्थिति में सुधार करने के लिए कॉयर उद्योग अधिनियम, 1953 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। कॉयर उद्योगों के विकास के लिए बोर्ड की गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान और विकास गतिविधियां करना; नए उत्पादों और डिजाइनों का विकास करना; और भारत तथा विदेशों में कॉयर और कॉयर उत्पादों का विपणन शामिल हैं। यह भूसी, कॉयर फाइबर, कॉयरीयान के उत्पादकों और कॉयर उत्पादों के विनिर्माताओं के बीच सहकारी संगठनों का संवर्धन करता है; उत्पादकों और विनिर्माताओं आदि के लिए लाभदायी प्राप्ति सुनिश्चित करता है।

कॉयर विकास योजना के अंतर्गत, योजना के विभिन्न घटकों के तहत अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों, बाजार विकास कार्यक्रम, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशाला, संगोष्ठी, प्रदर्शन दौरे आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ताकि कॉयर क्षेत्र में अधिक उद्यमियों को आकर्षित किया जा सके। कॉयर उद्योग के लिए आवश्यक कुशल जनशक्ति सृजित करने के लिए बोर्ड मूल्य संबंधित उत्पादों के निर्माण पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसमें कौशल विकास और रोजगार सृजन (कौशल उन्नयन और महिला कॉयरयोजना के माध्यम से), पीएमईजीपी योजनाओं के माध्यम से नई इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करना, और कॉयर श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपाय शामिल हैं। कॉयर क्षेत्र में निर्यात और घरेलू बाजार को बढ़ावा देने के लिए सहायता भी प्रदान की जाती है।

6. **खादी विकास योजना:** वर्ष 2022-23 से खादी विकास योजना को स्थानांतरित करके खादी ग्रामोद्योग विकास योजना के अधीन कर दिया गया है।

7. **ग्रामोद्योग विकास योजना:** वर्ष 2022-23 से ग्रामोद्योग विकास योजना को खादी ग्रामोद्योग विकास योजना के अधीन कर दिया गया है।

8.01. **खादी अनुदान:** खादी अनुदान और ग्रामोद्योग अनुदान अम्ब्रेला प्रणाली में सभी मौजूदा स्कीमों/उप-स्कीमों/घटकों को समाहित करके, भारत सरकार द्वारा फरवरी 2019 में 'खादी अनुदान', 'खादी विकास योजना' (केवीवाई) और 'ग्रामोद्योग विकास योजना'

(जीवीवाई) की उप-स्कीमों के साथ खादी और ग्रामोद्योग विकास योजना (केजीवीवाई) नामक एक नई स्कीम को अनुमोदन प्रदान किया गया था और इसे वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पांच साल की अवधि के लिए जारी रखा गया है।

8.02. **खादी विकास योजना:** "खादी विकास योजना" (केजीवीवाई) का उद्देश्य देश में खादी को बढ़ावा देना है। संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए), ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र (आईएसईसी), खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड योजना, मौजूदा कमजोर खादी संस्थानों के बुनियादी ढांचे के सुदृढीकरण और विपणन अवसंरचना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एसएंडटी), विपणन संवर्धन (प्रदर्शनी) आदि के लिए सहायता जैसी मौजूदा स्कीमों के अलावा इसमें डिज़ाइन हाउस (अब खादी उत्कृष्टता केंद्र) का एक नया घटक शामिल है।

8.03. **ग्रामोद्योग विकास योजना:** उप स्कीम "ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई)" के तहत, सामान्य सुविधाओं, तकनीकी आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण आदि के माध्यम से ग्रामीण उद्योगों का संवर्धन और विकास, तथा ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए अन्य सहायता और सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

9. **(नवाचार, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन) एस्पायर:** उद्यमिता को गति प्रदान करने और कृषि-उद्योग में नवाचार और उद्यमिता हेतु स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए माननीय मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा 16.3.2015 को एस्पायर (नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना) नामक योजना शुरू की गई। यह योजना वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थी। यह योजना तीन मुख्य घटकों के साथ शुरू की गई थी जिसमें निम्नलिखित की स्थापना पर ध्यान दिया गया था: (क) लाइवलीहुड बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर (एलबीआई), (ख) टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर (टीबीआई) और (ग) सिडबी के तहत निधियों की निधि (एफओएफ)

विकास आयुक्त (एमएसएमई) की इन्क्यूबेशन योजना के साथ अभिसरण के कारण टीबीआई घटक बंद हो गया। स्कीम के तहत वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, 194.87 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ कुल 125 एलबीआई को स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुमान है।

10. **ऋण आधारित पूंजी सब्सिडी तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम:** इस स्कीम को कैबिनेट द्वारा सनसेट क्लॉज के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया था और यह दिनांक 1.03.2020 तक लागू थी। सीएलसीएस घटक का उद्देश्य विशिष्ट उप-क्षेत्र/उत्पादों में सुस्थापित और अनुभूत प्रौद्योगिकियों की शुरुआत करने के लिए संस्थागत वित्त के माध्यम से एमएसई को प्रौद्योगिकी की सुविधा प्रदान करना था। इस स्कीम के तहत एमएसई को चिन्हित क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों/प्रौद्योगिकियों के लिए 1.0 करोड़ रुपये तक के संस्थागत ऋण पर 15% की सब्सिडी (अर्थात् 15.00 लाख रुपये की सीमा तक सब्सिडी) प्रदान की गई थी। इस स्कीम का कार्यान्वयन 11 नोडल बैंकों/एजेंसी के माध्यम से किया गया था, हालांकि, लगभग सभी वाणिज्यिक बैंक, निजी बैंक और आरआरबी इन 11 नोडल बैंकों/एजेंसी के माध्यम से पीएलआई के रूप में कार्य कर रहे हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उद्यमियों, महिला उद्यमियों और विशेष क्षेत्रों के उद्यमियों को भी किसी भी प्रकार के संयंत्र और मशीनरी/उपकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन के अधिग्रहण/प्रतिस्थापन में निवेश के लिए सब्सिडी देने की अनुमति प्रदान की गई है। प्राप्त हुए सभी उपयुक्त सब्सिडी दावों का निपटान कर दिया गया है। प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम

(टीईक्यूपी) और प्रौद्योगिकी अधिग्रहण एवं विकास निधि स्कीम (टीएडीएफ) को इस योजना में मिला दिया गया है। आकस्मिक देनदारियों के लिए बजट प्रावधान को बनाए रखा जा सकता है।

11. **एमएसएमई चैम्पियन्स योजना:** एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम में एमएसएमई चैंपियंस स्कीम हैं, जिसमें एमएसएमई सस्टेनेबल (जेडईडी), एमएसएमई प्रतिस्पर्धी (लीन), एमएसएमई इनोवेटिव (इनक्यूबेशन, डिज़ाइन, आईपीआर, डिजिटल एमएसएमई) घटक शामिल हैं।

12. **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):** वर्ष 2008-09 में प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) की पूर्ववर्ती योजनाओं का विलय करके प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक क्रेडिट लिंकड सब्सिडी योजना शुरू की गई थी। पीएमईजीपी का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की सहायता करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत की मार्जिन राशि की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। विशेष श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, भूतपूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग, पूर्वोत्तर क्षेत्र, आकांक्षी जिलों, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों आदि से संबंधित लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत है। परियोजनाओं की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये है।

अच्छा प्रदर्शन करने वाली मौजूदा पीएमईजीपी/मुद्रा इकाइयों के उन्नयन के लिए 15 प्रतिशत (पूर्वोत्तर/पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 20 प्रतिशत) की सब्सिडी के साथ 1 करोड़ रुपये तक की दूसरी वित्तीय सहायता स्वीकार्य है।

वर्ष 2008-09 में इसकी स्थापना के बाद से, 20,000 करोड़ रुपये की मार्जिन राशि की सब्सिडी के साथ लगभग 8.14 लाख इकाइयों को सहायता प्रदान की गई है जिससे अनुमानित तौर पर देश भर में लगभग 64 लाख युवाओं के लिए रोजगार सृजित हुआ है। लगभग 80 प्रतिशत सहायता प्राप्त इकाइयों ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और लगभग 50 प्रतिशत इकाइयों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के स्वामित्व में हैं।

13. **ऋण सहायता कार्यक्रम:** ऋण सहायता कार्यक्रम के तहत, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम कार्यशील है। इस स्कीम के माध्यम से, सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) द्वारा नए और मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दिए गए कोलेटरल मुक्त ऋण सुविधा के लिए गारंटी कवर प्रदान किया जाता है। अधिकतम ऋण सीमा को 100 लाख रुपये से बढ़ाकर 200 लाख रुपये कर दिया गया है। इस फंड के कॉर्पस को 2500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सीजीटीएमएसई को भारत सरकार का भाग अर्थात् 7000 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत और जारी कर दी गई है।

14. **आपदाग्रस्त आस्ति निधि:** आपदाग्रस्त आस्ति निधि (एमएसएमई के लिए अधीनस्थ ऋण): भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठन के लिए पात्र एसएमए-2 और एनपीए खातों जैसे संकटग्रस्त एमएसएमई के प्रवर्तकों के लिए अधीनस्थ ऋण (सीजीएसएसडी) के लिए 20,000 करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी स्कीम है। इस स्कीम का उद्देश्य संकटग्रस्त एमएसएमई के पुनर्गठन के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठन के लिए पात्र व्यवसाय में इक्विटी/अर्द्ध इक्विटी के रूप में निवेश हेतु ऐसे एमएसएमई के प्रवर्तकों को बैंकों के माध्यम से व्यक्तिगत ऋण प्रदान करना है। 24 जून, 2020 को संकटग्रस्त एमएसएमई के लिए अधीनस्थ

ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएसडी) शुरू की गई। सीजीएसएसडी स्कीम के कॉर्पस के लिए सीजीटीएमएसई को अब तक 157.41 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इस स्कीम को अब दिनांक 1.03.2023 तक बढ़ा दिया गया है।

15. **योग्य एमएसएमई उधारकर्ताओं को आपातकालीन क्रेडिट लाइन सुविधा (जीईसीएल):** आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 23.05.2020 को आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस1.0) शुरू की गई थी, ताकि पात्र एमएसएमई और अन्य व्यावसायिक उद्यमों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और कोविड-19 आपदा के कारण उत्पन्न संकट के मद्देनजर व्यवसायों को फिर से शुरू करने में मदद मिल सके। यह स्कीम अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को कवर करती है। इसके तहत, सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) को पात्र उधारकर्ताओं को उनके द्वारा दी गई ऋण सुविधा के संबंध में 100% गारंटी प्रदान की जाती है। ईसीएलजीएस का कार्यान्वयन वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

16. **ऋण आधारित पूंजीगत सस्मिडी (सीएलसीएस):** इस स्कीम को कैबिनेट द्वारा सनसेट क्लॉज के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया था और यह दिनांक 31.03.2020 तक लागू थी। सीएलसीएस घटक का उद्देश्य विशिष्ट उप-क्षेत्र/उत्पादों में सुस्थापित और अनुभूत प्रौद्योगिकियों की शुरुआत करने के लिए संस्थागत वित्त के माध्यम से एमएसएमई को प्रौद्योगिकी की सुविधा प्रदान करना था। इस स्कीम के तहत एमएसएमई को चिन्हित क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों/प्रौद्योगिकियों के लिए 1.0 करोड़ रुपये तक के संस्थागत ऋण पर 15% की सस्मिडी (अर्थात् 15.00 लाख रुपये की सीमा तक सस्मिडी) प्रदान की गई थी। इस स्कीम का कार्यान्वयन 11 नोडल बैंकों/एजेंसी के माध्यम से किया गया था, हालांकि, लगभग सभी वाणिज्यिक बैंक, निजी बैंक और आरआरबी इन 11 नोडल बैंकों/एजेंसी के माध्यम से पीएलआई के रूप में कार्य कर रहे हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उद्यमियों, महिला उद्यमियों और विशेष क्षेत्रों के उद्यमियों को भी किसी भी प्रकार के संयंत्र और मशीनरी/उपकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन के अधिग्रहण/प्रतिस्थापन में निवेश के लिए भी सस्मिडी की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्राप्त हुए सभी उपयुक्त सस्मिडी दावों का निपटान कर दिया गया है। प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम (टीईक्यूयूपी) और प्रौद्योगिकी अधिग्रहण एवं विकास निधि स्कीम (टीएडीएफ) को इस योजना में मिला दिया गया है। आकस्मिक देनदारियों के लिए बजट प्रावधान को बनाए रखा जा सकता है।

17. **खरीद और विपणन सहायता स्कीम:** राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों/एमएसएमई एक्सपो के आयोजन में भागीदारी जैसी नई बाजार पहुंच पहलों को बढ़ावा देना। विपणन में पैकेजिंग के महत्व/पद्धतियों/प्रक्रिया, नवीनतम पैकेजिंग प्रौद्योगिकी, आयात-निर्यात नीति और प्रक्रिया, जीईएम पोर्टल, एमएसएमई कॉन्क्लेव, अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय व्यापार में नवीनतम विकास और बाजार तक पहुंच के विकास के लिए प्रासंगिक अन्य विषयों के बारे में एमएसएमई को जागरूक और शिक्षित करना।

18. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग योजना:** अंतरराष्ट्रीय सहयोग योजना का लक्ष्य विदेशों में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी मेलों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों, क्रेता विक्रेता संवादों में भागीदारी की सुविधा प्रदान करते हुए निर्यात बाजार में प्रवेश हेतु एमएसएमई का क्षमता निर्माण करने के साथ-साथ उन्हें कार्यात्मक बाजार आसूचना तथा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में शामिल लागत की प्रतिपूर्ति करना है।

19. **अध्ययन, प्रचार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग (एसपीआईसी):** यह स्कीम वित्त मंत्रालय के निदेशन में अंतरराष्ट्रीय सहयोग स्कीम, सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी), सर्वेक्षण, अध्ययन और नीति अनुसंधान और राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय बोर्ड स्कीमों के विलय से बनी है। अब इस स्कीम में निम्नलिखित उप घटक हैं-

1. अंतरराष्ट्रीय सहयोग: अंतरराष्ट्रीय सहयोग (आईसी) उप घटक का उद्देश्य विदेशों में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों/सम्मेलनों/सेमिनार/क्रेता-विक्रेता बैठकों में उनकी सहभागिता की सुविधा प्रदान कर निर्यात बाजारों में प्रवेश हेतु एमएसएमई में क्षमता का निर्माण करने के साथ-साथ कार्रवाई योग्य मार्किट-इंटेलिजेंस तथा वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में लगी विभिन्न लागतों की प्रतिपूर्ति करना है। अब, संशोधित आईसी दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित तीन मुख्य घटक हैं यथा एमएसएमई की बाजार विकास सहायता (एमडीए), उप-घटक-2: पहली बार के एमएसएमई निर्यातकों का क्षमता निर्माण (सीवीएफटीई) और उप-घटक-3: अंतरराष्ट्रीय बाजार आसूचना प्रसार के लिए रूपरेखा (आईएमआईडी)।

विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय के विज्ञापन और प्रचार' मद के विलय के बाद सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी): इस स्कीम का उद्देश्य एमएसएमई को वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता और उन्नयन, बुनियादी ढांचा विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण तथा बाजार सहायता आदि प्रदान करने के उद्देश्य से मंत्रालय और विकास आयुक्त (एमएसएमई) के कार्यालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों का व्यापक प्रचार करना है।

सर्वेक्षण, अध्ययन और नीति अनुसंधान - घटक का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और वैश्वीकरण के संदर्भ में एमएसएमई के सामने आने वाली बाधाओं और चुनौतियों के साथ-साथ उनके लिए उपलब्ध अवसरों के अध्ययन और विश्लेषण के लिए एमएसएमई के विभिन्न पहलुओं और विशेषताओं पर नियमित रूप से समय-समय पर समर्पित और विश्वसनीय डेटा एकत्र करना है और इन सर्वेक्षणों के परिणामों का उपयोग करना, इस मंत्रालय के लिए योजना का मूल्यांकन अध्ययन और नीतिगत अनुसंधान के लिए विश्लेषणात्मक अध्ययन करना, सरकार द्वारा उचित कार्यनीति और इंटरवेंशन के उपाय करना है। इस योजना के तहत, महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के स्वामित्व वाले और/या उनके द्वारा प्रबंधित उद्यमों पर भी डेटा एकत्र किया जाता है।

राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय बोर्ड: घटक का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई उद्यमियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनके योगदान को पहचानना और उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करना है। वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1983 में हुई, जब 19 उद्यमियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। पिछले पुरस्कार 30 जून, 2022 को दिये गये थे जिसमें 35 पुरस्कार प्रदान किए गए थे।

20. **महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान:** महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान एमएसएमई मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाला एक स्वायत्तशासी निकाय है, जो जमनालाल बजाज केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, वर्धा का पुनरुद्धार करके वर्ष 2001 में स्थापित किया गया था। एमगिरि का उद्देश्य स्थायी और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तर्ज पर देश में ग्रामीण औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करना तथा एस एंड टी सहयोग प्रदान करना है ताकि ग्रामीण उद्योगों के उत्पादों का उन्नयन किया जा सके जिससे वे स्थानीय और वैश्विक बाजारों में व्यापक स्वीकार्यता प्राप्त कर सकें।

21. **संवर्धनात्मक सेवा संस्थान और कार्यक्रम:** संवर्धनात्मक सेवा संस्थान और कार्यक्रम योजना का उद्देश्य अजा/अजजा/महिला, दिव्यांग, पूर्वसैनिक तथा बीपीएल व्यक्तियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले युवाओं को स्वरोजगार या उद्यमशीलता को अपने एक करिअर विकल्प के रूप में चुनने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसका अंतिम लक्ष्य नए उद्यमों को प्रोत्साहित करना, मौजूदा एमएसएमई का क्षमता निर्माण तथा देश में उद्यमिता संस्कृति को जागृत करना है।

22. **सूचना, शिक्षा और संचार:** सूचना, शिक्षा और संचार योजना का उद्देश्य मंत्रालय और विकास आयुक्त (एमएसएमई) के कार्यालय की विभिन्न योजनाओं का व्यापक प्रचार करना है, जो एमएसएमई को वित्तीय सहायता, प्रौद्योगिकी सहायता और उन्नयन, अवसंरचना विकास, कौशल विकास तथा प्रशिक्षण एवं बाजार सहायता आदि के लक्ष्य से चलाई जा रही है।

23. **प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता:** संशोधित दिशानिर्देशों (दिनांक 01.12.2021 से प्रभावी) में (i) एमएसएमई मंत्रालय और मौजूदा राज्य स्तरीय ईडीआई के प्रशिक्षण संस्थानों को अवसंरचनात्मक सहायता और उनका क्षमता निर्माण तथा (ii) एमएसएमई मंत्रालय के प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण (कौशल विकास कार्यक्रम/प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण) के रूप में वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।

24. **निधियों के लिए निधि:** निधियों की निधि {आत्मनिर्भर भारत कोष (एसआरआई)} :-

भारत सरकार ने बड़ी इकाइयों में परिवर्तित होने की संभावना और व्यवहार्यता रखने वाले एमएसएमई में इक्विटी वित्त पोषण के रूप में 50,000 करोड़ रुपए की राशि समाविष्ट करने के लिए आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष के नाम से निधियों की निधि की घोषणा की है। इस स्कीम के अंतर्गत कोष का कुल आकार 50,000 करोड़ रुपए का है जिसमें 10,000 करोड़ रुपए भारत सरकार से तथा 40,000 करोड़ रुपए का लेवरेज प्राइवेट इक्विटी/वेंचर कैपिटल निधियों से प्राप्त किए जाने का प्रावधान है। इस पहल का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र की सुयोग्य और पात्र इकाइयों को विकासशील पूंजी प्रदान करना है। एसआरआई कोष को आगे कार्यशील बनाने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान एनवीसीएफएल के लिए 80.35 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत और जारी की है।

25. **उद्यमिता सह कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी):** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम(ईएसडीपी) स्कीम का उद्देश्य अ.जा./अ.ज.जा./महिलाओं,दिव्यांगों, भूतपूर्व सैनिक तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों सहित समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करना है ताकि वे स्वरोजगार अथवा उद्यमिता को अपने कैरियर विकल्पों में से एक विकल्प के रूप में अपना सकें। इसका मुख्य उद्देश्य देश में नए उद्यमों को प्रोत्साहित करना, मौजूदा एमएसएमई का क्षमता निर्माण करना तथा उद्यमिता संस्कृति को आत्मसात कराना है।

26. **अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण:** एमएसएमई मंत्रालय लघु एवं सूक्ष्म उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) कार्यान्वित करता है। इस योजना के तहत सामान्य सुविधा केंद्रों (सीडीसी) को स्थापित करने और नई/मौजूदा औद्योगिक संपदाओं/औद्योगिक क्षेत्रों में अवसंरचना सुविधाओं को सृजित/उन्नत करने के लिए राज्य सरकार की परियोजनाओं में सहायता प्रदान की जाती है।

27. **नए प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना:** देशभर में 20 नए प्रौद्योगिकी केंद्रों तथा 100 नए विस्तार केंद्रों की स्थापना करके मंत्रालय के प्रौद्योगिकी केंद्रों की पहुंच को बढ़ाने के लिए दिनांक 01.11.2018 को सीसीईए द्वारा "नए प्रौद्योगिकी केंद्रों/विस्तार केंद्रों की स्थापना" नामक स्कीम को अनुमोदन प्रदान किया गया था तथा माननीय प्रधान मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 02.11.2018 को इसकी घोषणा की गई थी। इस स्कीम का कुल परिव्यय प्रारंभ में 6000 करोड़ रुपए था, जिसकी वैधता 31 मार्च, 2022 तक थी। इस स्कीम में 3500 करोड़ रुपए (प्रौद्योगिकी केंद्रों के लिए 2500 करोड़ रुपए तथा विस्तार केंद्रों के लिए 1000 करोड़ रुपए) के संशोधित परिव्यय के साथ जुलाई, 2022 में पुनः विस्तार कर दिया गया है, जिसका कार्यान्वयन वित्त वर्ष 2025-26 तक किया जाएगा।

28. **प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) ईएपी:** देश में प्रौद्योगिकी केंद्रों के नेटवर्क का विस्तार और उनका उन्नयन करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय देशभर में 15 नए प्रौद्योगिकी केंद्रों (टीसी) की स्थापना करने तथा मौजूदा प्रौद्योगिकी केंद्रों का उन्नयन करने के लिए विश्व बैंक ऋण सहायता सहित अनुमानित 2200 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। इन 15 नए प्रौद्योगिकी केंद्रों में से 5 प्रौद्योगिकी केंद्र राष्ट्र को समर्पित कर दिए गए हैं। नए प्रौद्योगिकी केंद्र, कानपुर का सिविल कार्य पूरा कर लिया गया है और प्रशिक्षण मशीनें (92 प्रतिशत) स्थापित कर दी गई हैं, शेष प्रौद्योगिकी केंद्रों का सिविल कार्य प्रक्रियाधीन है। 614 मशीनें तथा प्रयोगशाला (प्रशिक्षण तथा उत्पादन) नए प्रौद्योगिकी केंद्रों में भेज दी गई हैं।

29. **कार्यालय आवास का निर्माण-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय:** कार्यालय आवास का निर्माण-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय योजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 से अवसंरचना विकास एवं क्षमता निर्माण के अधीन कर दिया गया है।

30. **एमएसएमई कार्यानिष्पादन को बढ़ाना एवं त्वरित करना - आरएमपी:** रैम्प विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की एक स्कीम है जिसका उद्देश्य एमएसएमई की बाजार एवं वित्त तक पहुंच को और बेहतर बनाना तथा प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर संस्थानों का सुदृढीकरण करना तथा केंद्र-राज्य समन्वय को भी और बेहतर बनाना है। रैम्प स्कीम से राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग के जरिए प्रौद्योगिकी उन्नयन, नवीनीकरण, डिजिटिकरण, बाजार तक पहुंच, ऋण, ग्रीनिंग संबंधी पहलों आदि को प्रोत्साहन प्रदान करके एमएसएमई के कार्यानिष्पादन में वृद्धि होगी। वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2026-27 तक की पांच वर्ष तक की अवधि के लिए इस स्कीम का कुल परिव्यय 6062.45 करोड़ रुपए है जिसमें विश्व बैंक का सहयोग 3750 करोड़ रुपए (500 मिलियन यूएस डॉलर) का रहेगा। रैम्प स्कीम राज्यों को सहायता प्रदान करने के अलावा एमएसएमई मंत्रालय की निम्नलिखित मौजूदा स्कीमों को सहयोग प्रदान करती है: एमएसएमई बैंपियंस स्कीम, खरीद और विपणन सहायता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रौद्योगिकी केंद्रों के लिए क्षमता निर्माण और अनुसंधान तथा मूल्यांकन अध्ययन। रैम्प स्कीम से कार्यक्रम की अवधि (वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27) के दौरान 5.5 लाख से अधिक एमएसएमई के लाभान्वित होने की परिकल्पना की गई है।

31. **सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी):** सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी): विकास आयुक्त (एमएसएमई), एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार एक स्कीम अर्थात एमएसई-क्लस्टर विकास कार्यक्रम का संचालन करता है। इस स्कीम के अंतर्गत सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना की जाती है और नई औद्योगिक अवसंरचना विकास परियोजनाओं (अर्थात औद्योगिक संपदाओं) की स्थापना तथा मौजूदा औद्योगिक संपदाओं के उन्नयन के लिए सहायता भी प्रदान की जाती है।

एमएसई-सीडीपी एक मांग आधारित स्कीम है जिसका उद्देश्य सामान्य सहयोगी कार्यों के लिए एमएसएमई से जुड़े सामान्य मुद्दों का समाधान, उनका क्षमता निर्माण करके एमएसएमई के स्थायित्व, प्रतिस्पर्धात्मकता तथा उसके विकास संबंधी मुद्दों पर सहयोग प्रदान करना तथा औद्योगिक संपदाओं/क्लस्टरों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन/उन्नयन, सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना, हरित और स्थायी विनिर्माण प्रौद्योगिकी का संवर्धन करना है।

32. **उपकरण कक्ष और तकनीकी संस्थाएं (टीआर/टीआई):** टूल रूम और प्रशिक्षण संस्थाना एमएसएमई की प्रौद्योगिकी सहयोग सेवाएं प्रदान करते रहे हैं। साथ ही उद्योगों को कौशलयुक्त श्रमशक्ति प्रदान करने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता रहा है। बजट में अद्यतन प्रौद्योगिकी से युक्त मशीनरी और उपकरणों की खरीद तथा नकदी संबंधी कमी, यदि कोई

हो, तो उसे पूरा करने के लिए संस्थानों को सहायता-अनुदान जारी करने हेतु प्रावधान किया गया है। सरकार द्वारा प्रशिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति एससीएसपी/टीएसपी शीर्ष के लिए बनाए गए प्रावधानों में से की जाती है।

33. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन:** "पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन" नामक स्कीम पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम क्षेत्र के एमएसएमई के विकास के लिए पूर्णतया समर्पित स्कीम है। इस स्कीम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के क्षमता निर्माण के साथ-साथ उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए अवसरचना में वृद्धि करने हेतु नए प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना तथा मौजूदा लघु प्रौद्योगिकी केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। नई और मौजूदा औद्योगिक संपदाओं, फ्लैटड फैक्ट्री परिसरों के विकास के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। रसोईघर, बेकरी, लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग, रेफ्रीजरेशन तथा कोल्ड स्टोरेज, आईटी इन्फ्रा, पोर्टेबल वाटर, स्थानीय उत्पादों के लिए डिस्प्ले सेंटर, सांस्कृतिक कार्यकलाप केंद्र जैसी सामान्य सेवाओं के सृजन के लिए विभिन्न कार्यकलापों पर पर्यटन विकास घटक के अंतर्गत होम स्टे के क्लस्टर के रूप में विचार किया जा सकता है।"

34. **डाटाबेस अनुसंधान मूल्यांकन तथा अन्य कार्यालय सहायता कार्यक्रम:** इस योजना का मुख्य उद्देश्य नियमित/आवधिक रूप से एमएसएमई के विभिन्न पहलुओं पर और विशेषताओं संबंधी प्रासंगिक और विश्वसनीय आंकड़े एकत्र करना है ताकि अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में एमएसएमई द्वारा सामना की जा रही बाधाओं और चुनौतियों के बारे में और साथ ही उनके लिए उपलब्ध अवसरों का अध्ययन और विश्लेषण किया जा सके तथा सरकार द्वारा इन सर्वेक्षणों, इस मंत्रालय की योजना के मूल्यांकन के नतीजों का उपयोग एवं नीति अनुसंधान, उचित कार्यनीति को रूप देने तथा इंटरवेशन संबंधी उपायों के लिए किया जा सके। इस योजना के तहत महिलाओं, एससी/एसटी तथा ओबीसी के स्वामित्व और या उनके द्वारा प्रबंधित उद्यमों के संबंध में आंकड़े भी एकत्रित किए जाते हैं।

35. **सर्वेक्षण, अध्ययन तथा नीतिगत अनुसंधान:** इस योजना का मुख्य उद्देश्य नियमित/आवधिक रूप से एमएसएमई के विभिन्न पहलुओं पर और विशेषताओं संबंधी प्रासंगिक और विश्वसनीय आंकड़े एकत्र करना है ताकि अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में एमएसएमई द्वारा सामना की जा रही बाधाओं और चुनौतियों के बारे में और साथ ही उनके लिए उपलब्ध अवसरों का अध्ययन और विश्लेषण किया जा सके तथा सरकार द्वारा इन सर्वेक्षणों, इस मंत्रालय की योजना के मूल्यांकन के नतीजों का उपयोग एवं नीति अनुसंधान, उचित कार्यनीति को रूप देने तथा इंटरवेशन संबंधी उपायों के लिए किया जा सके। इस योजना के तहत महिलाओं, एससी/एसटी तथा ओबीसी के स्वामित्व और या उनके द्वारा प्रबंधित उद्यमों के संबंध में आंकड़े भी एकत्रित किए जाते हैं।

36. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब केंद्र:** माननीय प्रधान मंत्री द्वारा अक्तूबर, 2016 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति हब का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया था। इस हब में सूक्ष्म और लघु उद्यम आदेश, 2012 के लिए केंद्र सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के अंतर्गत आने वाले दायित्वों को पूरा करने, अनुकूल व्यावसायिक पद्धतियों को अपनाने तथा स्टैंड-अप इंडिया पहलों का लाभ प्राप्त करने के लिए एससी-एसटी उद्यमियों को पेशवर सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम का कार्यान्वयन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) के जरिए किया जा रहा है। हब के कार्यों में एससी, एसटी, के स्वामित्व वाले उद्यमों तथा उद्यमियों के बारे में सूचना का संग्रहण, उनका सही प्रकार से मिलान तथा उनका प्रचार-प्रसार, कौशल प्रशिक्षण तथा ईडीपी, बैंड विकास के जरिए मौजूदा और भावी एससी, एसटी उद्यमियों के मध्य क्षमता निर्माण करना शामिल है।"

37. **पीएम विश्वकर्मा:** पीएम विश्वकर्मा पांच वर्ष की अवधि (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक) के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसे 13,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ दिनांक 17.09.2023 को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा गुरु-शिष्य परंपरा अथवा पारंपरागत कौशलों के परिवार-आधारित अभ्यास को सुदृढ़ बनाना और उसे विकसित करना है। कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड, रियायती व्याज दर पर ऋण सहायता, कौशल उन्नयन, औजारों हेतु प्रोत्साहन राशि, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन राशि और विपणन संबंधित सहायता के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी। यह योजना पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करेगी। पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत आने वाले पारंपरिक व्यवसाय में हैं बड़ई (सुथार), नाव निर्माता, कवच बनाने वाले, लोहार (लोहार), हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, शिल्पकार (मूर्तिकार), पत्थर तराशने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, मोची (चार्मकार) / जूता बनाने वाले / जूता कारीगर, मेसन (राजमिस्त्री), टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाले/कांथर बुनकर, गुड़िया और खिलौना बनाने वाले (पारंपरिक), नाई, माला बनाने वाले(मालाकार), धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले शामिल हैं।

38. **महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान:** महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान एमएसएमई मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाला एक स्वायत्तशासी निकाय है, जो जमनालाल बाजाज केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, वर्धा का पुनरुद्धार करके वर्ष 2001 में स्थापित किया गया था। एमगिरि का उद्देश्य गांधी के स्थायी और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था परिकल्पना की तर्ज पर देश में ग्रामीण औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करना तथा एस एंड टी सहयोग प्रदान करना है ताकि ग्रामीण उद्योगों के उत्पादों का उन्नयन किया जा सके जिससे वे स्थानीय और वैश्विक बाजारों में व्यापक स्वीकार्यता प्राप्त कर सकें।